रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24062020-220126
**CG-DL-W-24062020-220126**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**
साप्ताहिक
**WEEKLY**

सं. 17] नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2020, शनिवार / ज्येष्ठ 24 —ज्येष्ठ 30, 1942
**No. 17] NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2020, SATURDAY/ JYAISTHA 24— JYAISTHA 30, 1942**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## गृह मंत्रालय

### (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

**सा.का.नि. 88 .**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में जनगणना कार्य निदेशालयों के कार्यालयों में [प्रूफशोधक] भर्ती नियम, 2000 का अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप

किया गया है, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशालयों में प्रूफशोधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों के कार्यालय, प्रूफशोधक भर्ती नियम, 2020 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.—** वह व्यक्ति,-

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | पे मैट्रिक्स में लेवल | क्या चयन अथवा अचयन पद है | सीधी भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्रूफशोधक | 21* (2020)<br>*कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | लेवल - 5 (29200-92300 रुपये) | लागू नहीं | 27 वर्षों से अधिक नहीं<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्षों तक छूट)<br>**टिप्पणी** : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) । |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| **अनिवार्यः** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य।<br>(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों अथवा लोक क्षेत्र उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों से प्रूफशोधन तथा तकनीकी मार्किंग का 2 वर्षों का अनुभव<br>**ऐच्छिकः-** डेस्कटाप पब्लिसिंग टेक्नालोजी में प्रवीणता | लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा<br>**टिप्पणीः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियां केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी,-<br>(अ) (i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हो; अथवा<br>(ii) मूल काडर अथवा विभाग में लेवल-4 (25500-81100/-रुपये) के वेतन मैट्रिक्स में अथवा संदृश पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात की गई 5 वर्षों की सेवा के साथ; अथवा<br>(ब) कालम (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव का होना। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ? | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | **(I) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के लिए, (पुष्टि हेतु) जिसमें शामिल हैं:** | लागू नहीं । |

| | | |
|---|---|---|
| | (1) उप निदेशक जनगणना कार्य अथवा अवर सचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष<br>(2) सहायक निदेशक (प्रशासन) अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) - सदस्य<br>(3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह "क" स्तर का एक अधिकारी - सदस्य<br>**(II) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्य तथा राज्यक्षेत्रों में स्थित संबंधित जनगणना कार्य निदेशालयों के लिए (पुष्टि हेतु) जिसमें शामिल हैः-**<br>1 उप निदेशक जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) - अध्यक्ष<br>2 उप निदेशक जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) - सदस्य<br>3 केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह "क" स्तर का एक अधिकारी - सदस्य । | |

[फा. सं. ए-51011/7/2018-प्रशा.V]

एस. एन. शर्मा, उप सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 18th June, 2020

**G.S.R. 88.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories [Proof Reader] Recruitment Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Proof Reader in the Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directorate of Census Operations in the States and the Union Territories, namely:-

**1. Short title and commencement.—** (1)These rules may be called the Office of Registrar General, India and the Offices of the Directorate of Census Operations in the States and the Union territories (Proof Reader) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2**. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concession required to be provided for the members of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Proof Reader | 21* (2020) *Subject to variation depended on the work load. | General Central Service, Group 'C,' Non- Gazetted, Non-Ministerial. | Level -5 ( Rs. 29200-92300) | Not applicable | Notexceeding 27 years (relaxable for Government Servants upto forty years'in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep. |

| Educational and otherqualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| **Essential:** (i) Degree from a recognised university or equivalent. (ii) two years experience of Proof reading and technical marking from Central Government or State Governments or Union territories Administrations or Public Sector Undertakings or recognised research institutions or universities or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations. **Desirable:** Proficiency in desk top publishing technology. | Not applicable | Two years | By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territory Administration,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | department; or<br>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level- 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and<br>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). |

| In case of recruitment by promotion / deputation /absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | **I. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the office of the Registrar General, India (for considering confirmation) consisting of:**<br>(1). Deputy Director of Census Operations or Under Secretary (Administration) - Chairperson;<br>(2). Assistant Director (Administration) or Assistant Director of Census Operations (Technical) - Member;<br>(3). A Group 'A' officer of another Central Government office - Member.<br>**II. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective Census Directors of Census Operations in States or Union territories (for considering confirmation) consisting of:-**<br>1. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations(Technical) - Chairperson;<br>2. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations(Technical) - Member;<br>3. A Group 'A' officer of another Central Government office - Member. | Not applicable. |

[F. No. A-51011/7/2018-Ad.V]

S. N. SHARMA, Dy. Secy.

---

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 2020

**सा.का.नि. 89.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी रिडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक उनका संबंध सिस्टर ट्यूटर/नर्सिंग ट्यूटर के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, लेडी रिडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली में स्टाफ की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी रिडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली भर्ती नियम, 2020 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण और वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू ब्यौरा विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करन अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| नर्सिंग ट्यूटर | 8* (आठ) (2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनतुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स का स्तर – 10 (56100-1,77,500) | लागू नहीं | 35 वर्ष से अधिक नहीं।<br>**टिप्पण 1:** केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।<br>**टिप्पण 2:** आयु सीमा का निर्धारण भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा। (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिम्म और जम्मू और कश्मीर राज्य के लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेशके लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को) ।<br>टिप्पणी 3: संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के माध्यम से आयु सीमा निर्धारित करने की तिथि संघ लोग सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 7 | (8) | (9) | (10) |
| **अनिवार्य :**<br>क. I: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विज्ञान (नर्सिंग) में मास्टर डिग्री अथवा<br>II. बीएससी (नर्सिंग) या पोस्ट बेसिक बीएससी (नर्सिंग) तथा भारतीय नर्सिंग परिषद के मान्यताप्राप्त किसी नर्सिंग कॉलेज में एक वर्ष का अनुभव।<br>ख. केन्द्र अथवा राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के तौर पर पंजीकृत<br>**टिप्पणी 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।<br>**टिप्पणी 2:** यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सभावना न हो तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। | लागू नहीं | एक वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा।<br>**नोट:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितिवश एक वर्ष से अधिक समय के लिए दूर रहने पर हुई रिक्तियों को ऐसे केंद्र सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जायेगा जो (क) समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्त हों और (ख) भर्ती नियम के कॉलम 7 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अनुभव और अर्हता रखते हों।<br>**नोट 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें इस नियुक्ति के तत्काल पहले संवर्ग वाह्य पद पर केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है।<br>**नोट 2**: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं | **समूह 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति: (नियमितीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे :**<br>1. संयुक्त सचिव, (नर्सिंग प्रभाग से प्रशासनिक तौर पर संबद्ध) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष<br>2. नर्सिंग सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – सदस्य<br>3. निदेशक/उप सचिव (प्रशासनिक तौर पर संबद्ध) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य<br>4. प्रधान नर्सिंग अधिकारी, लेडी रिडिंग हेल्थ स्कूल, दिल्ली - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक। |

[फा. सं. ए. 11012/06/2018-एन]

डॉ. रति बालाचंद्रन, सहायक महानिदेशक (नर्सिंग)

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (Department of Health)

New Delhi, the 15th June, 2020

**G.S.R. 89.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Reading Health School, Delhi Recruitment Rules, 1962 in so far as they relate to the post of Sister Tutor/Nursing Tutor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the Nursing Tutor in the Lady Reading Health School, Delhi namely:-

**1. Short title and commencement.—** (1) These rules may be called Ministry of Health and Family Welfare, the Lady Reading Health School, Delhi Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.—**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nursing Tutor | 08* (Eight) (2020)<br>*Subject to variation dependent on work-load | General Central Service, Group'A', Gazetted, (Non-Ministerial) | Level-10 (Rs.56100-1,77,500) | Not applicable | Not exceeding 35 years<br>**Note-1:** Relaxable for Government servant's upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.<br>**Note-2 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh and Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>**Note 3**:- In case of recruitment through the Union Public Service Commission the crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Union Public Service Commission. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| **Essential:**<br>(A)(i) Master of Science (Nursing) from a recognised University or Institute; | Not applicable | One year | By direct recruitment<br>**Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Or<br>(ii) Bachelor of Science (Nursing) or Post Basic Bachelor of Science (Nursing) with one year experience in a Nursing College recognised by the Indian Nursing Council.<br>B. Registered as Nurse and Midwife with Central or State Nursing Council.<br>**Note:** 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note: 2** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | | long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government (a)(i)holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct Recruitment under column(7).<br>**Note 1**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.<br>**Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of application. |

| In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | **Group 'A" Departmental Confirmation Committee consisting of.-**<br>**(For confirmation)**<br>1. Joint Secretary (Administratively concerned with Nursing Division), Ministry of Health and Family Welfare – Chairperson<br>2. Nursing Adviser, Ministry of Health & Family Welfare – Member.<br>3. Director/ Deputy Secretary (administratively concerned) , Ministry of Health & Family Welfare – Member<br>4. Principal Nursing Officer, Lady Reading Health School, Delhi - Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary. |

[F. No. A. 11012/06/2018-N]

Dr. RATHI BALACHANDRAN, Assistant Director General (Nursing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.24 18:34:23 +05'30'